




न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 354/2016 बउनवानी घासी पुत्र बजरंगा, बनाम नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा
 विरध्या पुत्र गेन्दी लाल, रामलाल पुत्र भूरया, मोरपाल पुत्र सोराम
 जांति गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
 उप0-1. श्री गिराज सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्त 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	दिनांक
11.2.2017	<p>अपीलान्त द्वारा जल्द सुनवायी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत मे करने बाबत निवेदन किये जाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण हेतु यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्त स्वयं वकील अपीलान्त, पैरोकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्त ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 311/2016 में ग्राम कंवरपुरा की आराजी ख0न0 290 रकबा 0.94 है0 किस्म गै0मु0नाला की भूमि में सम्बत् 2072 रबी में सरसों की फसल काश्त करना अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं दिनांक 17.2.2016 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्त द्वारा विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया हे कि यद्यपि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेण्डर प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कर्ना हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्त को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्त का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 11.2.2017 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनवायी गयी।</p>	


 श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
 सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत


 श्री बदी लाल बैरवा
 सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत


 (फे.सी.वर्मा)
 जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर